विलोपित विलोपित

विलोपित विलोपित

न्यायालयः– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2019 अपील

अपील-0584/2019/छतरपुर/भू.रा.सं.

गोविन्द सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह ठाकुर निवासी सैंधवा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म.प्र.

—— अपीलान्ट

विरुद्ध

श्री दिगम्बर जैन सिद्ध द्रोणागिरि सैंधवा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म.प्र.

—— प्रतिअपीलान्ट

आज दि. 04.05.19 को प्रारंभिक तर्क हेतु 20.5.19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4.5.19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र.क. 845/बी–121/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरुद्ध जानकारी दिनांक से अवधि अन्दर अपील प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 0584/2019/छतरपुर/भू0रा0

गोविन्द सिंह विरूद्ध श्री दिगम्बर जैन सिद्ध द्रोणागिरि सौंधवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–8–2019	अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 845/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27–2–2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के तहत इस न्यायालय में दिनांक 04–5–2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान 1963 की धारा 5 के आवेदन में यह अंकित किया है कि आलोच्य आदेश की जानकारी कार्यालय आकर सम्बंधित रीडर से जानकारी दिनांक 23–3–2019 को प्राप्त हुई इसके पश्चात दिनांक 18–4–2019 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ग्राह्य किये जाने अनुरोध किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के अभिभाषक को सुनवाई को सुनने के पश्चात दिनांक 27–2–2018 को आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी एक वर्ष तक प्रकरण एवं आदेश की जानकारी प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किया इसके संबंध में कोई कारण नहीं दे सके। दिन–प्रतिदिन विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई ठास समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है जिसे आधार पर जिसके आधार पर एक वर्ष के विलम्ब को क्षमा किया जा सके। फलस्वरूप यह अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	